28 12/12

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि हस्तगत प्रकरण प्रतिवादी स. 3 से 5/की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। लेकिन आदिनांक तक पर्याप्ततमः अवसर दिये जानें के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तलबाना पेश नहीं किया जा रहा है और न ही वकील वादी न्यायालय में हाजिर हों रहे है। इससे प्रतीत होता है। कि वकील वादी उक्त प्रकरण को आगे चलानें नही चाहते है। एवं आज न्यायालय समय में वकील व वादीगण को तीन बार अलग अलग समय में आवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादीगण में से कोई हाजिर नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में वादीगण के वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner